

प्रेषक,

एस0पी0 उपाध्याय
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,
प्रयागराज ।

गृह (पुलिस) अनुभाग 7

लखनऊ दिनांक 08 फरवरी, 2019

विषय- ए0टी0एस0 के अन्तर्गत स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम (स्पाट) हेतु नये वाहनों के क्रय की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय प्रयागराज के पत्र संख्या-उन्नीस-430-2018(ए0टी0एस0) दिनांक 11.12.2018, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-175/2018/2411/6-पु-7-2018-4/2018 दिनांक 06.12.2018 के माध्यम से ए0टी0एस0 के अन्तर्गत स्पेशल पुलिस आपरेशन टीम (स्पाट) हेतु 15 नये वाहनों के क्रय हेतु रू0 1,76,88,080/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। संदर्भित शासनादेश दिनांक 06.12.2018 द्वारा स्वीकृत 04 अदद TATA 32+Seater Star Bus on 712-42 BS-4, 04 अदद TATA 24+1D Seater Star Bus on LP 407-34WB BS-4 एवं 01 अदद TATA Winger Ambulance 3488 WB AC BS-4 वाहनों के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण बांछित अतिरिक्त धनराशि रू0 2,34,145/- (रू0 दो लाख चौतीस हजार एक सौ पैंतालीस मात्र) की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल शासनादेश दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त प्रयोजन पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-26 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-207-राज्य पुलिस-22-आतंकवाद निरोधक दस्ता-14-मोटर गाडियो का क्रय" मद के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-215/दस-2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019 द्वारा प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
एस0पी0 उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

संख्या-13/2019/2522(1)/6-पु-7-2018 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- पुलिस महानिरीक्षक ए0टी0एस0 उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिविल लाइन, इंदिरा भवन, प्रयागराज।
- 6- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 8- गार्ड फाइल हेतु/संबंधित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,
एस0पी0 उपाध्याय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।